



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 7 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 16, 1924 शक संम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1725/सत्रह-वि-1-1 (क)-26-2002

लखनऊ, 7 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पर दिनांक 6 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2002 कहा जायगा।

परिभाषायें

28

2-इस अधिनियम में, -

(क) "सुविधा" का तात्पर्य सड़क, जल-सम्भरण, सड़क पर रोशनी और विद्युत प्रदाय, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा करकट का संग्रह आदि लोक स्वास्थ्य और शिक्षा, आग बुझाने की सेवायें, सार्वजनिक पार्क और ऐसी अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवाओं या सुविधाओं से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण से है;

(ग) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(घ) "विकासकर्ता" का तात्पर्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म या ऐसी अन्य निजी या सरकारी उपक्रम से है, जो अवसंरचना का अंशतः या पूर्णतः और परिक्षेत्र की अन्य सुविधाओं को विकसित, निर्मित, अभिकल्पित, संगठित, संवर्धित, वित्त पोषित, प्रवर्तित, अनुरक्षित, प्रबन्धन करती है और जो प्राधिकरण द्वारा चयनित और यथास्थिति, राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित की जाय;

(ङ) "विकास क्षेत्र" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा आर्थिक परिक्षेत्र के विकास के लिए अधिसूचित किसी क्षेत्र से है ;

(च) "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" का तात्पर्य विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित विकास के अंशतः या पूर्णतः क्षेत्र से है ;

(छ) "अध्यासी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके अध्यासन में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन हो और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं;

(ज) "अन्तरिती" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से कोई भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं;

(झ) "अवसंरचनात्मक सुविधायें" का तात्पर्य किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा या उपयोगकर्ताओं के किसी विशिष्ट समूह द्वारा विशेष सेवाओं का उपयोग किया जाना जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट सेवायें भी हैं, अर्थात् :-

(एक) विद्युत का उत्पादन और प्रदाय;

(दो) जल निष्कासन, शोधन और वितरण;

(तीन) अपशिष्ट जल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन;

(चार) सफाई और सीवर व्यवस्था प्रणाली;

(पांच) विमानपत्तन और रेल प्रणाली;

(छः) सड़कें, पुल, उपरिगामी सेतु ; और

(सात) समान प्रकृति की कोई अन्य लोक सुविधा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय;

(ज) शब्द और पदावली "भवन", "विकास", "भवन का परिनिर्माण" और "भूमि" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिए दिए गए हैं।

Add by
7/12/02 के (1)

प्राधिकरण का
गठन

3-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे 'विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण' कहा जाएगा।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :-

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(ग) औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
(घ) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ङ) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(च) कृषि विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(छ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ज) कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(झ) लघु उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ञ) नियोजन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ट) आवास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ठ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वृहत्तर नोएडा	सदस्य
(ड) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा	सदस्य
(ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
(ण) क्षेत्र का मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य-सचिव

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसे सदस्य सहयोजित कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के सन्तोषजनक निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'सचिव' का तात्पर्य, जहां विभाग में प्रमुख सचिव हैं, वहां पर 'प्रमुख सचिव' से होगा।

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) प्राधिकरण की बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, प्राधिकरण में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य नहीं होगी।

4-(1) विकास आयुक्त जो प्रायः भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह प्राधिकरण का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकरण द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

प्राधिकरण के
कर्मचारिवृन्द

5-(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जायं, प्राधिकरण उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों और उनकी श्रेणी और पदनाम अवधारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाय।

विशेष आर्थिक
परिक्षेत्र के रूप में
अधिसूचित किसी
क्षेत्र का प्रभाव

6-विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अधिसूचित होने वाले किसी क्षेत्र के परिणामस्वरूप —

(क) इस रूप में अधिसूचित ऐसे क्षेत्र में स्थापित इकाइयां समय-समय पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त राजकोषीय प्रसुविधाओं और छूट की हकदार होंगी;

(ख) ऐसे परिक्षेत्र के अधीन क्षेत्र को औद्योगिक बस्ती समझा जायेगा और विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के क्षेत्र के भीतर पूर्व में घोषित कोई अन्य औद्योगिक बस्ती विघटित हो जाएगी और वह विशेष आर्थिक परिक्षेत्र औद्योगिक बस्ती द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के लिये समय-समय पर अधिसूचित समस्त लाभ/प्रोत्साहन विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाइयों पर लागू होंगे।

प्राधिकरण के कृत्य

7-(1) प्राधिकरण का कृत्य विकास क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा:-

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से भूमि का अर्जन करना ;

(ख) विकास क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना जिसमें तल क्षेत्रफल अनुपात (फ्लोर एरिया रेशिओ), भू-आच्छादन, पर्यावरणीय उपबन्धों (हरित क्षेत्र, जल निकास), अग्नि सुरक्षा के उपाय आदि के संबंध में मार्गदर्शन की रूपरेखा भी हो सकती है;

(ग) तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता रिपोर्ट या यथास्थिति किसी परियोजना के लिए जिसे परिक्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक समझा जाय, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और ऐसी परियोजना में निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के उपाय करना और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ;

(घ) परिक्षेत्र की अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के किसी भाग या सम्पूर्ण भाग के लिए विकासकर्ता का चयन करना ;

(ङ) सहउद्यम भागीदारों को परियोजना के स्वामित्व के अनुवर्ती अन्तरण सहित विकास क्षेत्र के विभिन्न घटकों के विकास के लिए उपयुक्त सहउद्यम की व्यवस्था में प्रवेश करना ;

(च) अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि उसके द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं और योजनाओं का समयानुकूल कार्यान्वयन हो ;

(छ) प्राधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सेवायें प्रदान कर रहे अभिकरणों और उसके उपभोक्ताओं के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का निपटारा करना;

(ज) अपने पदाभिहित क्षेत्र में विकासकर्ता को यथास्थिति, अपनी किन्हीं या समस्त शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

I
u
r
e

(झ) कोई अन्य कृत्य जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

8-प्राधिकरण विकास क्षेत्र में प्राधिकरण के किसी भूमि या भवन को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम या विनियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

भूमि के अंतरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की शक्ति

9-(1) विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे वार्षिक कर का उदग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के संबंध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार, यथास्थिति, ऐसे स्थल या भवन के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

प्राधिकरण द्वारा कर का उदग्रहण

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद 'बाजार मूल्य' का तात्पर्य निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, से है :-

(क) विक्रय की दशा में प्रतिफल की राशि ;

या

(ख) पट्टा की दशा में प्रीमियम की राशि;

या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि।

(2) यदि राज्य सरकार, लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यासी या उसके किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उदग्रहीत कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

10-(1) प्राधिकरण अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को, ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए विहित की गई हो, लगा सकता है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए उपबन्ध

(2) जहाँ कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गई हो, वहाँ प्राधिकरण को इस प्रकार प्रदान की गई सेवा के लिए उपयोक्ता-प्रभार उदग्रहण करने का अधिकार होगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपयोक्ता-प्रभार की दरें नियत की जाएंगी, यहाँ तक कि यह एक वार्षिक प्रत्यागम सुनिश्चित करता है जो अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था में किए गए पूंजीगत निवेश पर सोलह प्रतिशत उत्तरवर्ती-कर के प्रत्यागम से अनधिक होगा।

(4) प्राधिकरण उपयोक्ता-प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए :-

(क) पद 'व्यवस्था करना' के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित है;

(ख) पद 'उत्तरवर्ती-कर प्रत्यागम' का तात्पर्य ऐसे शुद्ध प्रत्यागम से है, जो ऐसे आयकर के भुगतान के पश्चात् उद्भूत होता है जिसे कुल प्रत्यागम पर देय पाया जाय।

11-(1) विकासकर्ता का कृत्य परिक्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और परिक्षेत्र के संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रशासन की व्यवस्था करना विकासकर्ता के कृत्य

(2) सरकार द्वारा किसी विकासकर्ता के इस प्रकार चयन किये जाने के परिणाम-स्वरूप विकास क्षेत्र या विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता में निहित होगा और आर्थिक परिक्षेत्र के क्रियान्वयन में प्राधिकरण का कोई भूमिका नहीं होगी।

परन्तु यह कि विकास क्षेत्र के उस भाग, जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के लिए अधिसूचित नहीं है, के लिए प्राधिकरण के पास किसी विकासकर्ता की समस्त शक्तियाँ होंगी:

परन्तु यह और कि किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के किसी भाग, जिसके लिए किसी विकासकर्ता का चयन न किया गया हो, के लिए प्राधिकरण के पास किसी विकासकर्ता की समस्त शक्तियाँ होंगी।

(3) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विकासकर्ता निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :-

(क) प्राधिकरण द्वारा रेखांकित पर्यावरणीय, फ्लोर एरिया रैसियो (एफ० ए० आर०), भू-आच्छादन, अग्निसुरक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शन के अनुरूप परिक्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना और योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थलों का सीमांकन और विकास करना;

(ख) उस प्रयोजन को, अर्थात् औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या भूखण्ड का उपयोग किया जाएगा;

(ग) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए अवसंरचना की व्यवस्था करना;

(घ) सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ङ) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए भूखण्डों का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना ;

(च) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना ;

(छ) उसके द्वारा, इस निमित्त, स्वयं या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था कराने के लिए विकास, निर्माण, प्रतिष्ठापन, प्रवर्तन, प्रबंध और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अनुरक्षण करना।

12-विकासकर्ता विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में प्राधिकरण की किसी भूमि या भवन को ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जिन्हें वह अपनी नियुक्ति को शासित करने वाले निबंधन और शर्तों और विकासकर्ता के रूप में अधिसूचना के अधीन रहते हुए नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

13-(1) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए विकासकर्ता ऐसे वार्षिक फीस का उदग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है।

14-(1) विकासकर्ता अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को, ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था के प्रयोजन के लिए विहित की गयी हो, लगा सकता है।

(2) जहाँ कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गयी हो, वहाँ विकासकर्ता को इस प्रकार प्रदान की गयी सेवा के लिए उपयोक्ता-प्रभार उदग्रहण करने का अधिकार होगा।

भूमि के अन्तरण
के संबंध में
विकासकर्ता की
शक्ति

विकासकर्ता द्वारा
फीस का उदग्रहण

अवसंरचनात्मक
सुविधाओं के लिए
उपबंध

(3) विकासकर्ता उपयोक्ता-प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए:-

एव 'व्यवस्था करना' के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित होगा।

15-(1) ऐसे मामले में जहाँ विकासकर्ता द्वारा अवसंरचना की व्यवस्था की जानी हो, पुनर्विलोकन समिति वहाँ प्रत्येक सेक्टर के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) विकासकर्ता का नाम निर्देशिनी;

(ख) विकास आयुक्त;

(ग) इकाइयों/निवासियों/सेवा प्रदानकर्ताओं या अन्य ऐसे हितबद्ध समूह, यदि कोई हों, के प्रतिनिधि।

(2) पुनर्विलोकन समिति, विकासकर्ता और उपभोक्ताओं के मध्य कार्यों और अन्य मामलों का पुनर्विलोकन और विनिश्चय विकासकर्ता के नियुक्ति की शर्तों के अन्तर्गत करेगी।

(3) पुनर्विलोकन समिति, ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर, जैसा आवश्यक समझा जाय, बैठक करेगी।

16-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विकास आयुक्त को या तो सशक्त कर सकता है या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी समिति, जिसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई अनुमोदन समिति कहा जाएगा, का गठन कर सकती है। प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा और समिति में समस्त सम्बन्धित विभागों, यथा- श्रम, पर्यावरण और प्रदूषण, उद्योग, व्यापार कर, ऊर्जा आदि, के प्रतिनिधि होंगे। इकाई अनुमोदन समिति

(2) इकाई अनुमोदन समिति, आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर किसी इकाई की स्थापना के लिए, यथास्थिति, आवश्यक स्थानीय और राज्य स्तरीय समाशोधन, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगी, जिसमें निम्नलिखित भी हैं:-

(एक) स्थल के लिए पर्यावरण समाशोधन;

(दो) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए अज्ञापित प्रमाण-पत्र/ सहमति;

(तीन) कारखाना और ब्यायलर्स निरीक्षणालय की ओर से स्थल समाशोधन;

(चार) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना योजना का अनुमोदन;

(पाँच) परिचालन और संचालन, यदि अपेक्षित हो, के लिए अनुज्ञप्ति;

(छ) मुख्य ब्यायलर्स निरीक्षक की ओर से ब्यायलर्स का रजिस्ट्रीकरण;

(सात) ऊर्जा भार का अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो;

(आठ) इस प्रकार अधिसूचित या अपेक्षित कोई अन्य अनुमोदन।

(3) इकाई अनुमोदन समिति, अनुमोदनों और समाशोधनों को त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए अन्य विभागों के ऐसे विशेषज्ञों या प्रतिनिधियों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, को आमंत्रित कर सकती है।

(4) इकाई अनुमोदन समिति, विभिन्न समाशोधनों, अनुमोदनों, अनुज्ञप्तियों या रजिस्ट्रीकरणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगी और उल्लंघन/अननुपालन की दशा में सुसंगत प्रयोज्य विधियों के अनुसार समुचित कार्यवाही करेगी।

(5) इकाई- अनुमोदन समिति अपने द्वारा प्रदत्त विभिन्न अनुज्ञापत्रियों या अनुमोदनो आदि का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने के लिए किसी अधिकरण की नियुक्ति कर सकेगी और ऐसे समाशोधनों और अनुज्ञाओं आदि के अनुश्रवण के लिए अपेक्षित किसी सूचना की मांग कर सकती है।

राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या 11 सन्
1973 के कतिपय
उपबन्धों का लागू
होना

17-उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 7 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि,-

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र
विकास अधिनियम
के कतिपय
उपबन्धों का लागू
होना

18-उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 10, 13, 14, 15 और 16 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि,-

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति निर्देश समझा जाएगा; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

अधिनियम का
अध्यारोही प्रभाव

19-इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में या विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र या उसका कोई भाग, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अलग समझा जाएगा।

20-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

21-(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के कार्यकलाप के प्रशासन के लिये विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) प्राधिकरण की बैठक, बुलाना और बैठक करना, ऐसी बैठक को आयोजित करने के लिये समय और स्थान, बैठक के कार्य का संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदन पत्रों के रजिस्टर का प्रपत्र;

(घ) प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबन्ध;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जाने वाली फीस;

(च) किसी अवसंरचनात्मक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिये किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहित किये जाने वाले प्रभार;

(छ) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जानी हो।

In
u
r
e
s

नियम बनाने की
शक्ति
विनियम बनाने की
शक्ति

22-विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूची में दी गयी अधिनियमितियाँ या तो प्रवृत्त न रह जाएंगी या ऐसे उपान्तरों के साथ प्रवृत्त होंगी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सम्बन्ध में कतिपय अधिनियमितियों का उपान्तरण

अनुसूची
(धारा 22 देखिए)
अधिनियमितियों की सूची

- 1-उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948
- 2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964
- 3-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962
- 4-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) ऐक्ट, 1952

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार ने वर्ष 1991 से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक एवं निर्यात-आयात नीति से सम्बन्धित कई सुधारीत्मक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित निर्यात-आयात नीति 2000-2001 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित किये जाने की योजना बनाई गयी है। उपर्युक्त योजना को अग्रसर करने के लिये यह विनिश्चय किया गया कि राज्य के कतिपय क्षेत्रों को औद्योगिक और नगरीय विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए एक विधि बनाई जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1725(2)/XVII-V-1-1(KA)-26-2002

Dated Lucknow, September 7, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vishesh Arthik Parikshetra Vikas Pradhikaran Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 6, 2002.

**THE UTTAR PRADESH SPECIAL ECONOMIC ZONE DEVELOPMENT
AUTHORITY ACT, 2002**

(U. P. ACT NO. 10 OF 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the constitution of an Authority for the development of certain areas in the State into industrial and urban economic zone and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority Act, 2002. Short title

Definitions

2. In this Act,—

(a) "Amenities" means basic and essential services such as roads, water supply, street lighting and power supply sewerage, drainage, collection, treatment and disposal of industrial waste, municipal waste etc., public health and education, fire fighting services, public parks and such other community facilities, services or conveniences as the State Government may, by notification, specify to be an amenity for the purposes of this Act;

(b) "Authority" means the authority constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chief Executive Officer" means the officer appointed as such under section 4;

(d) "Developer" means a person or body of persons, company, firm or such other private or government undertaking, who develops, builds, designs, organizes, promotes, finances, operates, maintains, manages part or whole of the infrastructure and other facilities of the Zone and is who selected by the Authority and notified as such by the State Government or the Government of India, as the case may be;

(e) "Development Area" means any area notified by the State Government for the Development of the economic zone.

(f) "Special Economic Zone" means a part or the whole of the development area notified under section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992;

(g) "occupier" means a person who occupies a site or building within the Special Economic Zone and includes his successors and assignee.

(h) "transferee" means a person to whom any land or building is transferred in any manner whatsoever, under this Act and includes his successor and assignee.

(i) "infrastructure facilities" means specialised services to be used by specific user or a specific group of users and includes the following specialized services namely:—

(i) generation and supply of electricity,

(ii) water extraction, treatment and distribution,

(iii) waste water treatment and solid waste management,

(iv) sanitation and sewerage system,

(v) airport and rail system,

(vi) roads, bridges, over-bridges, and

(vii) any other public facility of similar nature as may be notified by the Government.

(j) the words and expressions "building", "development", "to erect a building" and "land" shall have the meanings respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

Constitution of the Authority

3. (1) The State Government may, by notification, constitute for the purposes of this Act, an Authority to be called the "Special Economic Zone Development Authority".

(2) The Authority shall be a body corporate.

(3) The Authority shall consist of the following:

(a) the Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh. Chairman

(b) the Agricultural Production Commissioner Member

(c) Industrial Development Commissioner Member

(d) the Secretary to the State Government in the Finance Department. Member

- | | |
|--|------------------|
| (e) the Secretary to the State Government in the Industrial Development Department. | Member |
| (f) the Secretary to the State Government in the Agriculture Department. | Member |
| (g) the Secretary to the State Government in the Food Processing Industry Department. | Member |
| (h) Secretary to State Government in the Agricultural industry and Agricultural Export Promotion Department. | Member |
| (i) the Secretary to the Government in the Small Scale industries Department. | Member |
| (j) the Secretary to the Government in the Planning Department. | Member |
| (k) the Secretary to the State Government in the Housing Department. | Member |
| (l) the Chief Executive Officer, Greater Noida | Member |
| (m) the Chief Executive Officer, NOIDA | Member |
| (n) the Chief Executive officer, UPSIDC | Member |
| (o) the Chief Executive officer of the Zone | Member-Secretary |

In addition, the Authority may co-opt such members as it may consider necessary for satisfactory discharge of its functions.

Explanation:— For the purpose of this sub-section, the expression “the Secretary” where there is a Principal Secretary in the Department, shall mean “the Principal Secretary”.

(4) The headquarters of the Authority shall be at such place as may be notified by the State Government.

(5) The procedure to the conduct of the meetings for the Authority shall be such as may be prescribed.

(6) No act or proceeding of the Authority shall be invalid by reason only of the existence of the any vacancy or defect in the constitution thereof.

4. (1) The Development Commissioner usually appointed by the Government of India shall be the Chief Executive Officer of the Authority and shall be the whole-time officer of the Authority.

Chief Executive Officer

(2) The Chief Executive Officer shall be entitled to receive, from the funds of the Authority, such salary and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by a general order of the State Government in this behalf.

(3) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the regulations or as may be delegated to him by the Authority.

5. (1) Subject to such control and restrictions as may be determined by a general or special order of the State Government, the Authority may appoint such number of officers and employees as may be necessary for the performance of its functions, and may determine their grades and designations.

Staff of the Authority

(2) Subject to the provisions of sub-section (1) the officers and employees of the Authority shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and shall be governed by such other conditions of services as may be determined by the Authority.

6. Consequent to an area being notified as Special Economic Zone,—

(a) the units established in such zone notified as such shall be entitled to all fiscal benefits and exemptions granted by Government of India from time to time.

Effect of an area being notified as Special Economic Zone

(b) the area under such zone shall be deemed to be an Industrial Township and any other Industrial Township declared before within the Special Economic Zone area, shall stand dissolved and shall be replaced by the Special Economic Zone -Industrial Township.

(c) all the benefits incentives notified by the State Government from time to time for Special Economic Zones shall be applicable to units established in the Special Economic Zone.

7. (1) The function of the Authority shall be to secure the planned development of the development area.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the Authority shall perform the following functions—

(a) to acquire land in the Special Economic Zone, by agreement or through proceedings under the Land Acquisition Act, 1894 for the purposes of this Act;

(b) to prepare a plan for the development of the Development Area, which may also outline guidelines with regard to Floor Area Ratio (FAR), ground coverage, Environmental provisions (green spaces, drainage), fire safety measure etc;

(c) to prepare Techno-Economic Feasibility report or as the case may be, detailed project report for any project considered to be necessary for the development of the Zone and take measures to invite private investments for such project and ensure its implementation;

(d) to select a developer for a part or whole of the infrastructure and other facilities of the Zone;

(e) to enter into suitable joint venture arrangement for development of different components of the Development Area including subsequent transfer of ownership of the project to the joint venture partner;

(f) to co-ordinate with other departments and ensure timely implementation of projects and plans prepare by it;

(g) to resolve disputes of commercial nature between the agencies providing services and consumers thereof within the territorial jurisdiction of the Authority;

(h) may delegate any or all its powers to the developer in his designated area, as the case may be; and

(i) any other function that may be notified by the Government.

8. The Authority, may sell, lease or otherwise transfer whether by auction, allotment or otherwise any land or building belonging to the Authority in the Development area, on such terms and conditions as it may think fit to impose subject to any rules or regulations that may be made under this Act.

9. (1) For the purposes of providing, maintaining or continuing any amenity in the Development Area, the Authority may, with the previous approval of the State Government, levy such annual taxes as it may consider necessary in respect of any site or building on the occupier thereof, provided that the total incidence of such taxes shall not exceed one per cent of the market value of such site, or building, as the case may be.

Explanation— For the purposes of this sub-section, the expression market value means; the amount of—

(a) consideration, in the case of sale; or

(b) premium, in the case of lease; or

(c) the minimum value determined in accordance with the Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) Rules, 1997 made under the Indian Stamp Act, 1899, whichever is more.

(2) If, the State Government considers it necessary or expedient in the public interest it may, by a general or special order, exempt wholly or partly any occupier or any class thereof from the taxes levied under sub-section (1).

Int
un
re
e
a
v
1

Power of the Authority in respect of transfer of land

Levy of taxes by the Authority

10. (1) The Authority may provide any infrastructure facility of its own or may engage a Government or private agency in the manner prescribed for the purpose of providing an infrastructure facility.

Provisions for infrastructure facilities

(2) Where any infrastructure facility is provided, the Authority shall have the power to levy user-charges for the service so provided.

(3) The rates of the user-charges referred to in sub-section (2) shall be fixed for different categories of the users by the authority, so however, that it ensures an annual return not exceeding sixteen per cent post-tax return on the capital investment made in providing the infrastructure facility.

(4) The Authority may delegate the power of collection of the user-charges to the agency providing the infrastructure facility.

Explanation— For the purposes of this section —

(a) the expression “provide” includes development, construction, installation, maintenance and operation of the infrastructure facility;

(b) the expression “post-tax return” means the net return that accrues after payment of the income tax that may be found to be payable on the gross return.

11.(1) The function of the Developer shall be to secure the planned development of the zone and to provide for the operation, maintenance, management and administration of the zone.

Functions of the Developer

(2) Consequent to a Developer being so selected by the Government, the entire responsibility of planned development of the development area or the Special Economic Zone shall lie with the Developer and the Authority shall have no role in the implementation of the Economic Zone:

Provided that for that part of the development area which is not notified as the Special Economic Zone, the Authority shall have all the powers of a Developer :

Provided further that any part of a Special Economic Zone for which no Developer is selected, the Authority shall have all the powers of a Developer.

(3) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the developer, may perform the following functions :—

(a) prepare a plan for the development of the zone in conformity with the environmental, FAR, ground coverage, fire safety guidelines outlined by the Authority, demarcate and develop sites for industrial, commercial and residential purposes according to the plan;

(b) lay down the purpose for which a particular site or plot of land shall be used, namely, for industrial, commercial or residential purpose or for any other specified purpose;

(c) provide infrastructure for industrial, commercial and residential purposes;

(d) provide amenities;

(e) allocate and transfer either by way of sale or lease or otherwise plots of land for industrial, commercial or residential purposes;

(f) regulate the erection of buildings and setting up of industries;

(g) develop, construct, install, operate, manage and maintain infrastructure facilities for providing specialised services either by itself or through any other person authorised by it on its behalf.

12. The Developer may sell, lease or otherwise transfer whether by auction, allotment or otherwise any land or building belonging to the Authority in the Special Economic Zone on such terms and conditions as it may think fit to impose subject to the terms and conditions governing its appointment and notification as a Developer.

Power of Developer in respect of transfer of land

Levy of fees by
Developer

13. For the purposes of providing, maintaining or continuing any amenity in the Special Economic Zone, the developer may, levy such annual fees as it may consider necessary in respect of any site or building on the occupier thereof.

Provision for
infrastructure
facilities

14. (1) The Developer may provide any infrastructure facility of its own or may engage a Government or private agency in the manner prescribed for the purposes of providing an infrastructure facility.

(2) Where any infrastructure facility is provided, the developer shall have the power to levy user-charges for the service so provided.

(3) The Developer may delegate the power of collection of the user-charges to the agency providing the infrastructure facility.

Explanation—For the purposes of this section—

the expression “provide” shall include development, Construction, installation, maintenance and operation of the infrastructure facility.

Review
Committee

15. (1) In the case where infrastructure is to be provided by the Developer, a Review Committee shall be formed for every sector consisting of the following members :—

(a) the nominee of the Developer;

(b) the Development Commissioner;

(c) the Representatives of units/residents/service providers or other such interest group, if any.

(2) The Review Committee shall review and decide within the terms of appointments of the Developer, the works and other matters between the Developer and the Consumers.

(3) The Review Committee shall meet at such places and at such times as may be deemed necessary.

Unit Approval
Committee

16. (1) The State Government, may by notification, either empower the Development Commissioner or constitute for the purposes of this Act, a Committee to be called the Special Economic Zone Unit Approval Committee. The Chief Executive Officer of the authority shall be the Chairman of the committee and the committee shall consist of representatives of all concerned departments such as labour, environment and pollution, industries, trade tax, power, etc.

(2) The Unit Approval Committee shall grant necessary local and State level clearances, approvals, licenses or registrations as the case may be, for setting up of a unit within the Economic Zone, including,—

(i) environment clearance for site;

(ii) no objection certificate/consent for establishment under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;

(iii) site clearance on behalf of Factories and Boilers Inspectorate;

(iv) approval of factory plan under Factories Act, 1948;

(v) licence for running and operating the Unit, if required;

(vi) registration of Boilers on behalf of Chief Inspector of Boilers;

(vii) power load approval, if required;

(viii) any other approval so notified or required;

(3) The Unit Approval Committee may, invite such experts or representatives of other departments as it may consider necessary for expeditious grant of approvals and clearances.

(4) The Unit Approval Committee shall supervise and monitor various clearances, approvals, licences or registrations and in cases of violations / non compliance shall take appropriate action as per relevant applicable laws.

(5) The Unit Approval Committee may appoint an agency to supervise and monitor various licences and approvals etc. granted by it and may call for any information required to monitor such clearances and permissions etc.

17. The provisions of Chapter VII and sections 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 and 58 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, as re-enacted and modified by the Uttar Pradesh President's (Re-enactment with Modifications) Act, 1974, shall *mutatis mutandis* apply to the Authority with the adaptation that—

(a) any reference to the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to this Act;

(b) any reference to the Authority constituted under the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to the Authority constituted under this Act; and

(c) any reference to the Vice-Chairman of the Authority shall be deemed to be a reference to the Chief Executive Officer.

18. The provisions of sections 10, 13, 14, 15 and 16 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, shall *mutatis mutandis* apply to the Authority with the adaptation that—

(a) any reference to the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to this Act;

(b) any reference to the Authority constituted under the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to the Authority constituted under this Act; and

(c) any reference to the Vice-Chairman of the Authority shall be deemed to be a reference to the Chief Executive Officer.

19. The area declared as Development Area or as Special Economic Zone under this Act, such area or part thereof if included in the master plan or the zonal development plan under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, or any other development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall be deemed to be excluded from any such plan from the date of such declaration.

20. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

21. (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the administration of the affair of the Authority.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulation may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the summoning and holding of meeting of the Authority, the time and place where such meeting are to be held, the conduct of business at such meetings, and the number of members necessary to form a quorum thereat;

(b) the powers and duties of the Chief Executive Officer;

(c) the form of register of applications for permission to erect a building;

(d) the management of properties of the Authority;

(e) fees to be levied in the discharge of its functions;

(f) charges to be collected by any person for providing any infrastructure facility;

(g) such other matters as are to be provided for in the regulations.

Applications of certain provisions of President's Act XI of 1973

Applications of certain provisions of Industrial Area Development Act

Overriding effect of the Act

Power to make rules

Power to make regulations

Modification of
certain enactments
in relation to
Special Economic
Zone

22. The enactments set out in the Schedule in relation to the Special Economic Zones either cease to apply or apply with such modifications as the State Government may by notification specify.

SCHEDULE

(See section 22)

List of Enactments

1. U. P. Trade Tax Act, 1948
2. Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyan, 1964
3. Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1962
4. U. P. Electricity (Duty) Act, 1952

By order:

A. B. SHUKLA,
Prakukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Several reformatory steps have been taken by the Government of India since 1991 relating to Industrial and Export - Import Policy. In this connection, establishment of Special Economic Zones in various States have been planned under the Export - Import Policy 2000-2001 declared by the Ministry of Commerce and Industry of the Government of India. In order to further the aforesaid scheme, it has been decided to make a law to provide for the constitution of an Authority for development of certain areas in the State as industrial and urban Special Economic Zones and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority Bill, 2002 is introduced accordingly.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 551 राजपत्र (हि०)-(1292)-2002-597-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 163 सा० विधा०-(1293)-2002-850-(कम्प्यूटर/आफसेट)।